

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 9(33)राज -1/2014

जयपुर, दिनांक : 30-03-2015

—: अधिसूचना —:


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील झुंगला/बड़ी सादड़ी/कपासन/बेगू/निम्माहेड़ा/रावतभाटा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरो/ठाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क्र. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		दूरी कि. मी. में	मूल राजस्व ग्राम का रोष रहा क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चित्तौड़गढ़ / झुंगला	आलोद	1377	674.4847	हरनाथपुरा	260	170.8313	1.25	389.2878
2					कीरों का खेडा	265	114.5859	1.5	
3	—	भाटोली गूजरान	1741	994.6290	नालिया खेडा	265	164.6820	1.25	829.9170
4	—	ईड़रा	2177	1051.8586	बंजारों का खेडा	342	173.1655	2.0	878.6931
5	—	गुढा	1186	507.4300	चकतिया बावजी	745	247.6400	1.25	259.7900
6	—	समलिया पीलाखेड़ा	1902	1095.9800	पीलाखेड़ा	355	260.7670	1.5	835.213
7	—	भाणपा	1821	1509.5971	आतरिया	280	341.1023	2.25	412.5257
8					उमरिया	270	652.7474	3.0	
9					नीमड़ी भागल	300	103.2217	2.0	
10	चित्तौड़गढ़ / बड़ी सादड़ी	बोहेडा	8461	2650.15	सुथारिया खेडा	500	357.16	2.0	1839.28
11					जणवों का खेडा	260	251.64	4.0	
12					मांयगों का खेडा	675	202.07	2.5	
13	—	खरदेवला	1355	560.85	सोनीगरी का खेडा	350	56.23	2.0	504.62
14	—	केवलपुरा -ए	728	400.29	हाथीपुरा	325	294.28	1.0	106.01
15	—	ओरवाडिया	973	323.35	सती का खेडा	290	108.68	1.0	214.67

कृपया 030.....

16	चित्तौड़गढ़ / कपासन	जैपुरा	799	576.94	कुम्भाखेडा	371	186.88	1.5	390.06
17	— " —	सुरपुरी	719	373.80	अर्जुननगर	221	56.42	5.0	317.38
18	— " —	निम्बाहेडा	2946	1262.95	मोडारड़ा उर्फ रूपनगर	253	158.12	1.5	808.65
19					गाडरियावास उर्फ सिद्धपुरा	482	156.03	1.0	
20					खान्दोला	254	140.15	2.0	
21	— " —	हथियाना	2521	1089.96	कीरखेडा उर्फ भगवत नगर	543	292.88	2.0	797.08
22	चित्तौड़गढ़ / कपासन	कचोलिया	692	467.97	हड़मतिया जाटान	261	166.42	1.0	301.55
23	— " —	मुंगाना	3127	1812.92	गंगाराम जी का खेड़ा	300	129.38	5.0	1683.54
24	चित्तौड़गढ़ / बेगूं	ईटावा	932	422.490	खेड़िया	320	174.330	2.0	248.160
25	चित्तौड़गढ़ / निम्बाहेडा	बिनोता	5868	1920.20	लक्ष्मीपुरा	250	111.74	3.0	1808.46
26	— " —	मेवासा	1042	810.71	मेवासा की ढाणी	440	289.58	2.0	521.13
27	— " —	केली	3673	1583.33	मोठा	253	188.71	3.0	1394.62
28	चित्तौड़गढ़ / रावतभाटा	गिलोता	1224	596.77	भवानीपुरा (कुण्डाल)	596	197.40	1.3	399.37

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पन्न की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

 (दिनेश चन्द जैन)
 संयुक्त शासन सचिव

कृ०प०उ०.....